(c) the anticipated dates of completion of these projects?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a) There is no irrigation project under implementation by the Central Government. According to present policy irrigation projects are planned, investigated, formulated and implemented by the States concerned.

(b) and (c) Do not arise.

बाण सागर परियोजना

949. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाण सागर परियोजना के संबंध में हाल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सिंचाई मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए तथा वर्तमान समय में इन राज्यों द्वारा पानी का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक 24-8-92 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

(ख) बाण सागर बांध परियोजना के विभिन्न घटकों की प्रगति और वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद बोर्ड ने परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य की तारीख निम्नानुसार संशोधित की है :—

क्रेस्ट स्तर तक बांध—जून, 1995

द्वारों सहित बांध—जून, 1998

जैसा कि 1973 के बाण सागर समझौते में दिया गया है, बाण सागर परियोजना के जल को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा 2 : 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाना है ।

गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना

950. **श्री मोता पद्मनाभा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के बारे में प्राक्कलन इत्यादि सहित संशोधित आंकड़े केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा केन्द्र सरकार इस परियोजना को कब तक मंजूरी देगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोलावरम् परियोजना और गोदावरी नदी जल के संबंध में कोई अंतर्राज्यीय विवाद नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी देने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्दिष्ट टिप्पणियों और कमियों पर ध्यान दिए बिना जुलाई, 1990 में पहली रिपोर्ट का केवल अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किया था और राज्य सरकार ने जुलाई, 1992 में पहली बार अंतिम रूप देने हेतु जल-विज्ञान अध्याय प्रस्तुत किया था ।

(ख) जांच के बाद केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जलवैज्ञानिक श्रृंखलाओं को अंतिम रूप दिया गया है और राज्य सरकार को सिंचाई आयोजना को अंतिम रूप देने की सलाह दी गयी है ताकि परियोजना घटकों के डिजाइन तैयार करने में सहायता मिल सके और लागत अनुमान तैयार किए जा सकें ।

(ग) और (घ) इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होने वाला जलमग्न क्षेत्र शामिल है । गोदावरी जल विवाद अधिकरण के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले अपने अपने क्षेत्रों में भूमि और सम्पत्तियों की सुरक्षा अथवा उनके मुआवजे के लिए अपने विकल्प बताने अपेक्षित हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार को दोनों राज्य सरकारों